न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
15 / 2025	2025 / 48	29.01.2025	27.03.2026

शीर्षक

1. कैलाशचन्द
2. रामकरण
3. शंकरलाल पुत्रान बालदास स्वामी समस्त जातियान स्वामी निवासी भूरी भड़ाज तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।

वादीगण

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र गिरधारीलाल
2 सत्यनारायण पुत्र गिरधारीलाल
3 सुवालाल पुत्र गिरधारीलाल
4 फूलचन्द पुत्र बूलाराम
5 संजय कुमार सैनी पुत्र रमेश समस्त जातियान माली, निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़
7 सब रजिस्ट्रार पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी, देवेन्द्र कुमार एवं सीताराम बंसल के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी सलंग्न वादपत्र है। उक्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 सहखातेदार काश्तकार काबिज है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

2. वादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 76 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़,के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड डाक सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के खिलाफ दिनांक 19.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। दिनांक 28.05.2025 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

3. दिनांक 19.03.2026 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद का डिक्री फरमाया जाने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4 अतः वादीगण का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**कैलाश, रामकरण, शंकरलाल** पि0 **बालदास** हि0 पूर्ण जाति स्वामी सा. **भूरीभड़ाज**	**76/1 रकबा 1.1750 हैक्ट0 भूमि।**
2	**औमप्रकाश, सत्यनारायण, सुवालाल** पि0 गिरधारी **लाल** हि. **3/8** **फूलचन्द पुत्र बूलाराम** हि. **1/2,** **संजय कुमार सैनी पुत्र रमेश** हि. **1/8 जाति माली** सा.देह **खातेदार**	**76/2 रकबा 0.2650 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
15/2025	2025/48	29.01.2025	27.03.2026

शीर्षक

1. कैलाशचन्द
2. रामकरण
3. शंकरलाल पुत्रान बालदास स्वामी समस्त जातियान स्वामी निवासी भूरी भड़ाज तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0। **वादीगण**

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र गिरधारीलाल
2 सत्यनारायण पुत्र गिरधारीलाल
3 सुवालाल पुत्र गिरधारीलाल
4 फूलचन्द पुत्र बूलाराम
5 संजय कुमार सैनी पुत्र रमेश समस्त जातियान माली, निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़
7 सब रजिस्ट्रार पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादीगण का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**कैलाश, रामकरण, शंकरलाल पि0 बालदास हि0 पूर्ण जाति स्वामी सा. भूरीभड़ाज**	**76/1 रकबा 1.1750 हैक्ट0 भूमि।**
2	**औमप्रकाश, सत्यनारायण, सुवालाल पि0 गिरधारी लाल हि. 3/8 फूलचन्द पुत्र बूलाराम हि. 1/2, संजय कुमार सैनी पुत्र रमेश हि. 1/8 जाति माली सा.देह खातेदार**	**76/2 रकबा 0.2650 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधनी शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियो के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	